न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/14/2022

हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा निवासी कटारा भवन रूपवास रोड रूदावल जिला भरतपुर

बनाम

तहसीलदार, तहसील रूपवास।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 06.04.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा निवासी कटारा भवन रूपवास रोड रूदावल जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2022 से तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी ने तहसीलदार रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/144 दिनांक 15.03.2022 के द्वारा तहसीलदार रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार रूपवास से पत्र कमांक एलआर/22/845 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार रूपवास से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने व अपील में वर्णित बिन्दुओं के सबंध में सूचना बाबत प्रार्थना की है। तहसीलदार रूपवास से प्राप्त जबाब पत्र कमांक एलआर/22/845 दिनांक 01.04.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रूपवास ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना दिनांक 10.03.2022 से सूचना उपलब्ध करा दी गई है तथा बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही होने व 20 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण उपलब्ध नही कराई जा सकी है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार रूपवास से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर, भरतपुर